

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 31
व्यय विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	289.31	...	289.31	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
वसूलियां	-0.15	...	-0.15
प्राप्तियां
निवल	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएं	240.32	...	240.32	391.92	...	391.92	403.17	...	403.17	419.47	0.01	419.48
2. शासकीय लेखा और वित्त संस्थान	6.32	...	6.32	8.00	...	8.00	7.97	...	7.97	8.34	...	8.34
3. नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिन्डोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार	31.26	...	31.26	33.00	...	33.00	30.00	...	30.00	31.00	...	31.00
4. वास्तविक वसूलियां	-0.15	...	-0.15
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	277.75	...	277.75	432.92	...	432.92	441.14	...	441.14	458.81	0.01	458.82
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	11.41	...	11.41	21.82	...	21.82	18.43	...	18.43	18.07	...	18.07
कुल जोड़	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	240.20	...	240.20	391.92	...	391.92	403.17	...	403.17	419.47	...	419.47
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	48.99	...	48.99	62.82	...	62.82	56.40	...	56.40	57.41	...	57.41
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	289.19	...	289.19	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
आर्थिक सेवाएं												
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	-0.03	...	-0.03
जोड़-आर्थिक सेवाएं	-0.03	...	-0.03
कुल जोड़	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89

- सचिवालय सामान्य सेवाएँ:** यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय व्यय और महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए नए भवन के लिए लोक निर्माण कार्यों के लिए है।
- शासकीय लेखा और वित्त संस्थान:** यह प्रावधान सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने से संबंधित व्यय के लिए है।
- नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार:** यह प्रावधान नई पेंशन स्कीम के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभारों के भुगतान संबंधी व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त और लेखा अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के शुल्क की प्रतिपूर्ति और स्थापना व्यय के लिए अनुदान और एनआईएफएम भवन के स्तरोन्नयन के लिए है।